न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस

अपील संख्या 20/2017

अचलसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी चक 8 पी.एस.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. कानसिंह
2. सिरू कंवर
3. राज कंवर
4. केसर कंवर

पिसरान मुलदास जाति राजपूत निवासी चक पोटलिया मांजरा तहसील व जिला नागौर।

5. अमाल कंवर पत्नी सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी हाल चक 8 पी.एस.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
6. उप पंजीयक घडसाना।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घडसाना। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 22.12.2016

उपस्थिति :—

श्री सुरेश अरोडा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक: 10/1/19

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 53, 188 के तहत पेश कर चक 8 पी.एस.डी.(बी.) के मु.नं. 67 प.नं. 154/64 के कि.नं. 1 से 13 की 3.088है. भूमि के सम्बन्ध में पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06.04.2016 को प्रा.पत्र आ. 7 नि. 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 4 की माता व वादी की दादी के नाम से दर्ज थी। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूर्यसिंहनगर

भूमि प्रतिवादी सं. 2 से 4 ने अपने–अपने हिस्सा की पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी से हक त्याग अपने भाई कानसिंह के पक्ष में कर दी। दस्तबरदारी के आधार पर कानसिंह के पक्ष में इन्तकाल दर्ज हो चुका है। विवादित भूमि पंजीकृत हक त्याग को निरस्त करने की मांग वादी द्वारा की गई है जो राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रा.पत्र स्वीकार कर प्रा.पत्र खारिज किया जावे। उक्त प्रा.पत्र के साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा पेश किया गया। वादी द्वारा आ. 7 नि. 11 सीपीसी का जबाब पेश कर कथन किया कि वादी ने दावा 88, 53, 188 राज.काश्त.अधि. का पेश किया है। दस्तबरदारी आरम्भ से प्रभावहीन व प्रभाव शून्य दस्तावेज है जिसपर राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचार किया जाना है। अतः प्रा. पत्र आ. 7 नि. 11 सीपीसी खारिज करते हुए वाद का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 22.12.2016 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

रेस्पों. सं. 1 से 5 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया था लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर वकील अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने दस्तबरदारी को निरस्त करवाने हेतु वाद पेश नहीं किया, बल्कि घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा पेश कर दिया था। दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम करने के पश्चात दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के उपरांत ही निर्णय करना चाहिए था जो नहीं करने में अधी. न्यायालय ने विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा वाद धारा 88, 53, 188 का पेश किया गया था जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा पेश किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर, उन पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के उपरांत ही निर्णय करना चाहिए था जो नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2016 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर, दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के उपरांत प्रकरण का पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/1/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सायसिंहनगर